पत्रांक– 321 /म0अ0ठे0/2017–18/ दिनांक– 19/06/2017

मत्स्य आखेट ठेका नीलामी सूचना वर्ष–2017–18

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बांदा द्वारा जनपद की सीमान्तर्गत बहने वाली केन, बागै, चन्द्रावल आदि नदियों एवं नालों की जलधाराओं में मछली पकड़ने व शिकार आदि के ठेके की नीलामी तत्सम्बंधी उपविधि सरकारी गजट उ0प्र0 दिनांक–27 सितम्बर 1997 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वर्ष–2017–18 अर्थात 01.09. 2017 से 30.06.2018 तक के निम्न विवरण के अनुसार किया जाना है:–

क्र0 सं0	नदी/नाला का नाम	लाट नं0	कहाँ से कहाँ तक	बोली बोलने हेतु निर्धारित जमानत धनराशि	नीलाम तिथि
1	केन नदी	लाट नं0–1	बिल्हरका से जमवारा	20.00 हजार	11.07.2017 को 12:30 बजे से
2	केन नदी	लाट नं0–2	गढ़ा से शेरपुर	30.00 हजार	
3	केन नदी	लाट नं0–3	बहादुरपुर से माघौपुर	30.00 हजार	
4	केन नदी	लाट नं0–4	गंछा से कनवारा	40.00 हजार	
5	केन नदी	लाट नं0–5	दरदा से खप्टिहाकला	2.00 लाख	
6	केन नदी	लाट नं0–6	रेहुन्टा से चिल्ला घाट	2.00 लाख	
7	बागै नदी	लाट नं0–1	रामनगर से गुढ़ाकला	20.00 हजार	
8	बागै नदी	लाट नं0–2	गहबरा से दिवली	20.00 हजार	
9	बागै नदी	लाट नं0–3	तेरा से पौहार	20.00 हजार	
10	रेन्ज/चन्द्रावल नदी	–	–	20–20 हजार प्रति नदी	
11	गडरा नाला	लाट नं0–1	तिन्दुही से तकुली	10.00 हजार	
12	गडरा नाला	लाट नं0–2	तकुली से उमरेहडा	10.00 हजार	
13	गडरा नाला	लाट नं0–3	उमरेहडा से मुरवल	10.00 हजार	
14	गडरा नाला	लाट नं0–4	मुरवल से गरौती	10.00 हजार	
15	गडरा नाला	लाट नं0–5	गरौती से औगासी	10.00 हजार	
16	बिसाहिल, तिगुडिया, पथराही, बइदा, कलिन्द, वसराव, कडैली, रेवाय नाला, महुआ नाला एवं जनपद के अन्तर्गत बहने वाले अन्य नाले			10–10 हजार प्रति नाला	

उक्त नीलामी पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों और मछुआ समुदाय अर्थात मछुआ, मल्लाह, केवट, कहार, गुडिया, धुरिया, निषाद, बिन्दु, बाथम तथा ढीमर आदि जातियों के मध्य कराई जायेगी। उक्त लाटो में बोली बोलने वाले प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता को नीलाम तिथि प्रातः 10 बजे से 12.30 बजे के मध्य उपरोक्तानुसार नकद जमानत धनराशि एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, किन्तु रू0 2.00 लाख से अधिक नीलाम होने वाले लाटो में बोली बोलने हेतु बोलीदाता को पंचायती राज अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–5748/33–3–2006–190जी/2006 दिनांक–17 नवम्बर 2006 में उल्लिखित निर्देशो के कम में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में जिन लाटो की नीलामी बोली नहीं होगी, उन अवशेष लाटो की नीलामी आगामी प्रत्येक बुधवार को कार्यालय जिला पंचायत बांदा में नीलाम समिति के समक्ष कराई जायेगी। सर्वोच्च बोलीदाता को बोली समाप्ति के बाद

सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करना होगा। अन्यथा की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अन्य शर्ते किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला पंचायत में देखी व प्राप्त की जा सकती है। उक्त से सम्बंधित सूचना व शर्ते बांदा जनपद की बेबसाइट http//banda.nic.in पर देखी जा सकती है।

(निर्मला सिंह)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत बांदा

(रणमत सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाँदा

कार्यालय जिला पंचायत, बांदा

पत्रांक /म0अ0ठे0/2017–18/दिनांक –

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
2. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत बांदा।
3. जिलाधिकारी महोदय, बांदा को इस अनुरोध के साथ कि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–670/33–2–17–56जी/17 दिनांक–19 अप्रैल 2017 के कम में उक्त नीलामी हेतु एक प्रतिनिधि नियुक्त करने की कृपा करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद बांदा।
5. उप जिलाधिकारी, बांदा, बबेरू, नरैनी, अतर्रा, पैलानी जनपद बांदा।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट।
7. अभियंता, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत बांदा (सदस्य नीलाम समिति) को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार नीलाम तिथियों में कार्यालय जिला पंचायत बांदा में उपस्थित रहकर नीलामी कार्यवाही सम्पादित करायें।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बांदा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना संलग्न नीलाम शर्तो सहित बांदा जिले की बेबसाइट में डलवाने का कष्ट करें।
9. व्यवस्थापक दैनिक राष्ट्रीय सहारा एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक त्रिशूल तेज बांदा को इस आशय से कि वे उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
10. सहायक निदेशक मत्स्य बांदा को इस आशय से कि वे उपरोक्तानुसार नीलाम तिथि के तीन दिन पूर्व कियाशील बैध मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की सूची कार्यालय जिला पंचायत बांदा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. श्री राकेश कुमार अग्रवाल कैशियर एवं विनय कुमार राजस्व निरीक्षक, जिला पंचायत बांदा को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथियों में उपरोक्तानुसार जमानत/ठेका धनराशि जमा कराने में कैशियर को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
12. समस्त वसूली स्टाफ, जिला पंचायत बांदा को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
13. जिला पंचायत बांदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

जिला पंचायत कार्यालय बाँदा

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाँदा